कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 1289 /23एल.ए.

दिनांक 22/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :– चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार में बबछेर गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय काय्रलय (उत्तर–मध्य क्षेत्र देहरादून का पंत्राक 8 बी/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16.04.2016 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है –

बिन्दु सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों (को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के रखरखाव हेतु मांग पत्र के अनुसार रू॰ 2808410.00 धनराशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0बी0आई0एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03. 2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। एवं आपके पंत्राक संख्या 1464/12–1 दिनांक 08.09. 2023 द्वारा 2110 वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का के0एम0एल0 आदि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जिसके क्रम में सैकोट रिर्जव कक्ष संख्या 1ए0 के0एम0एल0 फाईल एवं डिजीटल मानचित्र एवं चालान की प्रति सलंग्न चार–चार प्रतियों/ईमेल के माध्यम में।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु देय धनराशि रू॰ 791765.00 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0 बी0 आई0 एन0 52021032216962243 दिनांक 22.03.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। सलंग्न 01 के अनुसार।

3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आश्य की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है। चार–चार प्रतियों में।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost. NPV etc.) का पोर्टल पर Online Generatc किए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किये जाय अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 का भुगतान Online Portal के माध्यम से भुगतान किया गया है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सभव हो सड़क के दोनों किनरो तथ Central verge अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strep Plantation की जायेगी। इस आश्य के साथ बद्वता प्रेषित करनी है।	उक्त प्रमाण पत्र सलग्न चार–चार प्रतियों में।
6	State Govt. wil submit the certificate of CWLW. In original	उक्त प्रमाण पत्र सलग्न चार–चार प्रतियों में।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 4–4 प्रतियों।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गयी अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

22.06.2024

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता (द्वितीय) प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– वन भूमि सहायक/खण्डीय अमीन प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/191/2016/एफ0सी0/80 दिनांक 16/04/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली के विकासखण्ड दषोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 928/X-4-16/1(297)/2016 दिनांक 16.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/15628/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ... अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार ... आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरांत व प्रस्ताव पर ... विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **चमोली के विकासखण्ड दषोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.937 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** ... शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2110 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (... को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत ... आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि ... अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) ... पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, ... से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge ... अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय ... बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit the certificate of CWLW, in original.

द्वारा प्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य** **शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः—**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 211 से अधिक न होगी
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण अनुसार प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थान अलावा अन्यत्र वन भूमि में मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

(डॉ0 योगेश
तकनीकी अधिकारी (

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

छाया प्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0

(डॉ0 योगेश
तकनीकी अधिकारी

डिजिटल मैपः–राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण काये हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 2.10 है0)

N

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

SOI Toposheet No: 53 N/07

Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Land

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफेरेन्स मैप :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण काये हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 2.10 है0)

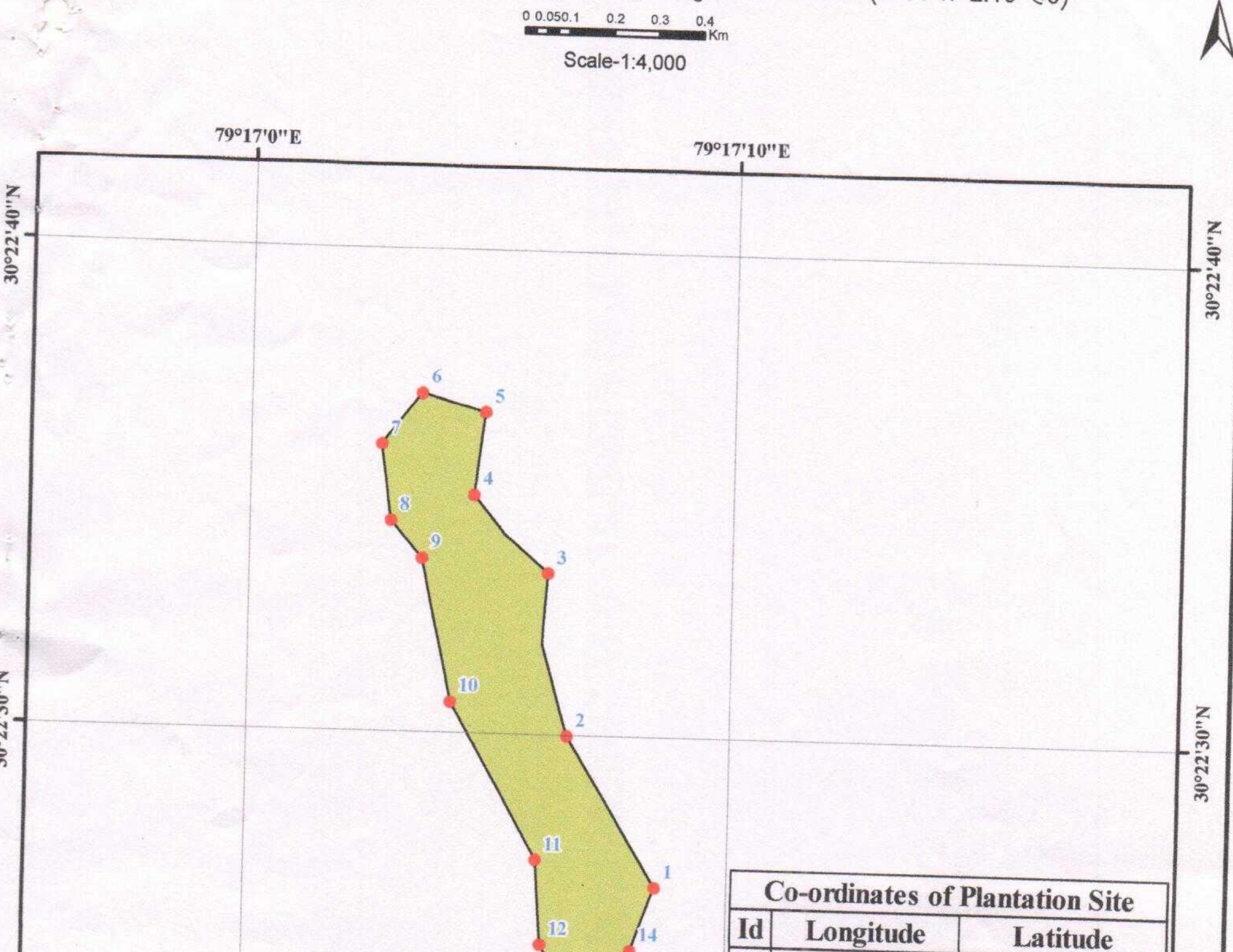

Co-ordinates of Plantation Site

Id	Longitude	Latitude
1	79° 17' 8.53" E	30° 22' 26.88" N
2	79° 17' 6.65" E	30° 22' 29.98" N
3	79° 17' 6.2" E	30° 22' 33.32" N
4	79° 17' 4.63" E	30° 22' 34.93" N
5	79° 17' 4.83" E	30° 22' 36.64" N
6	79° 17' 3.52" E	30° 22' 37.01" N
7	79° 17' 2.7" E	30° 22' 35.93" N
8	79° 17' 2.92" E	30° 22' 34.36" N
9	79° 17' 3.57" E	30° 22' 33.59" N
10	79° 17' 4.23" E	30° 22' 30.63" N
11	79° 17' 6.06" E	30° 22' 27.38" N
12	79° 17' 6.18" E	30° 22' 25.65" N
13	79° 17' 7.2" E	30° 22' 23.7" N
14	79° 17' 8.05" E	30° 22' 25.57" N

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव, प्रभाग

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

प्राक्कलन बावत– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगॉव तक मोटर मार्ग नवनिर्माण के अन्तर्गत 2110 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य करने का प्राक्कलन।

2–क्षेत्रफल 2.10 है0

वृक्षारोपण स्थल का नाम– सैकोट रिजर्व क0सं0 1अ (N-30°22'28.09" E-79°17'06.66")

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या 2110 पौध। N-30°22'32.42" E-79°17'4.67"

रोपित की जाने वाली प्रजाति– मिश्रित प्रजाति। N=30°22'31.02" E-79°17'3.13")

क0 सं0	विवरण	सं0	ल0	चौ0	ऊ/ग	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि
1	गढढे खुदान कार्य रेखांकन चूना सहित (0.30×0.30×0.45 मी0)					2110	14.28	प्रति गढ्ढे	30130.80
2	झाडी कटान कार्य करना(लैंटाना घास)					0.85	6523.38	सं0	5544.87
3	ट्री गार्ड क्रय मय फिक्स करना	1				2110	1155.00	प्रति घ0मी	2437050.00
4	पौध की कीमत					2110	24.20	प्रति पौध	51062.00
								योग प्रथम चरण	**2523787.67**
	द्वितीय वर्ष								
1	गढ्ढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)					2110	2.45	प्रति गढढा	5169.50
2	पौध ढुलान कार्य					2110	14.25	प्रति पौध	30067.50
3	पौध रोपण कार्य					2110	4.61	प्रति पौध	9727.10
4	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष					2110	4.31	प्रति सैकड़ा	9094.10
5	पौधों की प्रथम व द्वितीय निराई गुडाई व मलचिंग कार्य					2110	7.10	प्रति सैकड़ा	14981.00
7	चौकीदारी माह अगस्त से फरवरी तक 07 माह)	7				2.10	1028.40	प्रति है0/प्रति माह	15117.48
8	वृक्षारोपण बोर्ड लगाना व समस्त अन्य व्यय					2.10	2040.00	प्रति है0	4284.00
	योग द्वितीय वर्ष								**88440.68**
	तृतीय वर्ष								
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत वीटिंग अप हेतु पौध की लागत/कीमत					211	34.44	प्रति पौध	7266.84
2	पौध ढुलान कार्य					211	14.25	प्रति पौध	3006.75
3	गढ्ढा खोदना कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावंलाबन्दी कर रोपण करना					211	20.60	प्रति पौध	4346.60
5	निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य					211	1.83	प्रति पौध	386.13
6	तृतीय वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (10 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0/प्रति माह	25915.68

योग तृतीय वर्ष									40922.00
चतुर्थ वर्ष									
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग चतुर्थ वर्ष							Total	25915.68
पंचम वर्ष									
1	पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग पंचम वर्ष							Total	25915.68
षष्ठम वर्ष									
1	षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग षष्ठम वर्ष							Total	25915.68
सप्तम वर्ष									
1	सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग सप्तम वर्ष							Total	25915.68
अष्टम वर्ष									
1	अष्टम् वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग अष्टम वर्ष							Total	25915.68
नवम वर्ष									
1	नवम् वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग नवम् वर्ष								25915.68
दशम वर्ष									
1	दशम् वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.10	1028.40	प्रति है0 / प्रति माह	25915.68
	योग दशम् वर्ष								25915.68
								G Total	2808644.43
								OR	2808410.00

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के कार्यालय के पत्रांक क-972/3-5-2(II) दि० 21-11-2017 द्वारा 100 पौधों से प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुना पौधों के रोपण हेतु वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित सीलिंग अनुसार देय

जांच किया रूपये 28,08,410.00 = 2110 X 1331 = 28,08,410.00
के लिए।

[illegible] /ama.
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग [illegible]

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर वन क्षेत्र
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115628568
McEF/SG File No.	8B/UCP/06/191/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	3600175/-

Amount in Words :Thirty-Six Lakh One Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896115628568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-03-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6115628568
McEF/SG File No.	8B/UCP/06/191/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	3600175/-

Amount in Words :Thirty-Six Lakh One Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896115628568 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

20-3-21
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

UTR N 52021032216962243

छाया प्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Gopeshwar
(Chamoli)

Vikram Singh

राज्य योजना - बैरे धार से पदेर गांव तक (3.00 Km.) मोटर मार्ग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar

Phone / Fax No. [illegible] Email: dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक [illegible] / 12-1 गोपेश्वर दिनांक [illegible] oct 2020
सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में [illegible] से [illegible] तक मोटर मार्ग निर्माण 0.937 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक संशोधित वृक्षारोपण की धनराशि तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है:-

क्रस0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	दर प्रति वृक्ष / है0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2110 वृक्षों का रोपण	1331.00	28,08,410.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व 5)	0.937 है0	845000.00	7,91,765.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यवाही [illegible]

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 विभाग
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

प्रमाण पत्र

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि का स्वीकृति मिलने पर एन0पी0वी0 धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्वि की जाती है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सकरा की निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

प्रमाण पत्र

विषयः— मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 40/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां—जहां सम्भव होगा मार्ग के दोनों किनारों तथा Central Verge में अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23-3-24

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

छाया प्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

"राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र"

प्रभागीय वनाधिकारी,केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2493/12-1 दिनांक 29/12/2018 तथा निदेशक/वन संरक्षक,नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,गोपेश्वर की पत्र संख्या–2225/12–1 दिनांक 01/02/2019से जनपद चमोली के अंतर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये गये प्रमाण पत्र/आख्या कि याचित 0.937 हे0 वन भूमि जो केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से 6.00 कि0मी0 दूर है, के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त वन एंव वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ होगी, के साथ उक्त मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति के साथ दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु संस्तुति दी जाती है।

12.02.2019

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85–राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0–0135–2742884 फैक्स–2745691

पत्रांक 2274/ 12–1 देहरादून दिनांक 13 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर
2. प्रभागीय वनाधिकारी,केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,गोपेश्वर ।
3. अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,गोपश्वर

12.02.2019

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

छाया प्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

12/2/19

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR